न्यायालयः— 19वें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)
(समक्ष — श्रीमती सोनल पटेल)

CRA NO.	**33/2025**
Date of filing	07-02-2025
Filing no.	6068/2025
CNR NO.	MP0901-007464-2025

1. शादमा अमरीन पिता जनाब महफूज अहमद, आयु—34 वर्ष, व्यवसाय—गृहणी,
2. जनाब महफूज अहमद पिता स्व0 अब्दुल अजीज, आयु—61 वर्ष,
3. शायराबानो पति जनाब महफूज अहमद, आयु—55 वर्ष, व्यवसाय—गृहणी,
सभी निवासी—न्यू वकील कॉलोनी, अवदपुरा कम्पू, लश्कर ग्वालियर, म0प्र0

................अपीलार्थीगण / प्रतिप्रार्थीगण

/ / विरूद्ध / /

कमरून निसा पति स्व0 अब्दु अजीज कुरैशी, आयु—72 वर्ष, व्यवसाय—रिटायर्ड, निवासी—29, बाबा फरीद नगर, खजराना, इंदौर, म0प्र0

.... प्रत्यर्थी / प्रार्थी

अपीलार्थीगण द्वारा—	श्री अनवर कुरैशी अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी —	एकपक्षीय।

:: निर्णय ::
(आज दिनांक 25 / 08 / 2026 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (इस अधिनियम को आगे सुविधा हेतु मात्र अधिनियम 2005

कहा जायेगा) के अंतर्गत न्यायालय (श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रं. 2802/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2024 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने व्यथित होकर इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपीलार्थीगण/प्रतिप्रार्थीगण के नाम प्रार्थी के प्रकरण में से कम कर प्रकरण समाप्त करने बाबत् प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन इस आशय का मूल आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी 70 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला होकर वर्तमान में पेंशनर है। पूर्व में 2001 से प्रार्थी जिला मंदसौर में पति के साथ निवास करती थी तथा प्रार्थी के पति स्व0 अब्दुल अजीज कुरैशी मंदसौर के पार्षद थे। प्रार्थी का वर्ष 2011 में स्थानांतरित होकर थाना खजराना क्षेत्र में स्थित 29, बाबा फरीद नगर में निवास करने लगी, तब से आज तक वहीं निवास करती है। प्रार्थी का पुत्र फाजिल कुरैशी आबूधाबी में नौकरी करता है तथा दूसरा पुत्र शादी शुदा होकर फार्मा कंपनी में नौकरी कर प्रार्थी के साथ निवासरत है। प्रार्थी के पुत्र फाजिल ने वर्ष 2014 में उसका परिचय प्रतिप्रार्थी क्र0 1 शादमा अमरीन से फेसबुक के माध्यम हुआ था, जो भारतीय होकर म0प्र0 में ग्वालियर स्थित लश्कर, कम्पू अवधपुरा, मकान नं0 2 वकील कॉलोनी में निवास करती है तथा प्रतिप्रार्थी क्र0 2 व 3 भी फेसबुक के माध्यम से परिचय हो गया था। वर्ष 2015 में जब प्रार्थी के बड़े पुत्र का निकाह तय हुआ, तो प्रतिप्रार्थीगण भी सम्मिलित होने के लिए आये थे और प्रार्थी के पुत्र फाजिल से विवाह की बात पक्की कर चले गये। प्रार्थी एवं उसके पुत्र तथा परिजनों ने प्रतिप्रार्थीगण को विवाह प्रस्ताव के समय ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि उसका पुत्र जीवनपर्यन्त आबूधाबी में ही नौकरी करेगा और प्रतिप्रार्थी क्र0 1 को उसके साथ बतौर पत्नी रहकर जीवन व्यतीत करना होगा, जिस पर से प्रतिप्रार्थीगण ने सहमति होने के पश्चात् ही प्रार्थी के पुत्र का विवाह प्रतिप्रार्थी क्र0 1 से निकाह के लिए राजी

हुए थे और दिनांक 25.09.2015 को ग्वालियर में सगाई के दौरान प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थीगण को 2 तौला सोने की चेन, कपड़े व अन्य उपहार दिये थे तथा दिनांक 07.11.2016 को ग्वालियर शहर में मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार निकाह सम्पन्न हुआ तथा प्रतिप्रार्थीगण को वार–त्योहार पर मोबाईल, ज्वैलरी, लैपटॉप आदि दिये जाते रहे हैं। निकाह के कुछ समय पूर्व प्रतिप्रार्थी क0 1 व 2 ने प्रार्थी के पुत्र से 5 लाख रूपये की मांग की, जिस पर 1 लाख रूपये प्रतिप्रार्थी क0 1 को ट्रांसफर किये थे। निकाह के बाद 01.12.2016 को प्रतिप्रार्थी क0 1, प्रार्थी के पुत्र के साथ आबूधाबी चली गई। प्रार्थी के पुत्र एवं प्रतिप्रार्थी क0 1, को एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो वर्तमान में प्रतिप्रार्थी क0 1 के संरक्षण में हैं। प्रतिप्रार्थी क0 1 का व्यवहार प्रार्थी के पुत्र के साथ ठीक नहीं था, वह प्रार्थी से फोन पर बात भी नहीं करने देती थी और झगड़ा करती तथा इंडिया आने की जिद्द करती, जिस पर से दिनांक 13.12.2016 को प्रतिप्रार्थी क0 1 वापस ग्वालियर आयी।

3. प्रार्थी को आवेदन आगे इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी क0 1 लगातार प्रार्थी को फोन पर गाली–गलौज करती और तानाकशी करती। कुछ समय पश्चात् प्रतिप्रार्थी क0 1, प्रार्थी के साथ ससुराल आकर रहने लगी और प्रार्थी के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती रही। इंदौर में निवास के दौरान प्रतिप्रार्थी क0 1 छोटी–छोटी बातों पर विवाद करती थी और लगातार मोबाईल पर कई लोगों से घण्टों बात करती थी। प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी क0 1 के परिजनों को बुलाकर समझाइश की कोशिश की गई, किंतु प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3 द्वारा अकारण विवाद कर उन्हें झूठें केसों में फंसा दिये जाने की धमकी दी जाने लगी। दिनांक 13.12.2020 को प्रतिप्रार्थी क0 1 व उसके पुत्र को लेकर तथा अलमारी के रखे गहने व नगदी लेकर ताला लगाकर उसकी मर्जी से ग्वालियर चली गई, जिस पर से प्रार्थी के पुत्र द्वारा थाना खजराना में आवेदन भी दिया गया। प्रतिप्रार्थीगण ने प्रार्थी के विरुद्ध एक झूठा आवेदन दिनांक 09.01.2021 को थाना कप्पू, ग्वालियर में दिया गया

Contd. -----4

तथा पुनः असत्य आधारों पर दिनांक 07.07.2021 को प्रताड़ित किये जाने का आवेदन दिया गया तथा दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवा दिया गया, जिस पर प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थीगण से उसके साथ कारित घरेलू हिंसा के हर्जाने 50 लाख रूपये दिलाये जाने, प्रतिप्रार्थीगण के विरुद्ध भविष्य में प्रार्थी के साथ कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के दिनांक 23.11.2022 को प्रतिप्रार्थीगण ने द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उसके पुत्र को पक्षकार नहीं बनाया है एवं जिन लोगों को पक्षकार बनाया है, वे सभी प्रार्थी के साथ साझा गृहस्थी में नहीं रहे। संरक्षण अधिकारी द्वारा जो मत दिया गया है उक्त मत मात्र यह है कि प्रतिप्रार्थी क0 1 ने व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 498—ए का झूंठा प्रकरण बनाया, जबकि प्रकरण अभी विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का झूंठा या सच्चा होने का मन मात्र व्यथित व्यक्ति के कथनों के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। प्राथी द्वारा प्रस्तुत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिप्रार्थी कभी भी शहर इंदौर में साझा गृहस्थी में नहीं रही है, क्योंकि व्यथित व्यक्ति के पुत्र एवं प्रतिप्रार्थी की दोस्ती फेसबुक पर होकर दोनों पक्षों की शादी होने बाद प्रतिप्रार्थी ग्वालियर में रही और कुछ दिनों बाद आबुधाबी चली गई। आवेदन पत्र प्रार्थी के द्वारा द्वेषपूर्वक कार्यवाही अर्थात् बदले की भावना से की है, जब प्रतिप्रार्थी द्वारा उसके विरुद्ध 498—ए का प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया, प्रार्थी के पुत्र द्वारा प्रतिप्रार्थी क0 1 को प्रथम तलाक दी गई, प्रतिप्रार्थी क0 1 द्वारा घरेलू हिंसा का प्रकरण एवं 498—ए का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, अतः प्रतिप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रकरण का समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थीगण के आवेदन का

लिखित जवाब में प्रस्तुत कर समस्त अभिवचनों को अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि प्रतिप्रार्थी क0 1 व 3 के द्वारा प्रतिप्रार्थी क0 2 के पति माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ में डिप्टी रजिस्ट्रार होने के पद का दुरूपयोग कर प्रार्थी को न केवल प्रताड़ित किया गया, बल्कि मुस्लित होकर यह जानते हुए भी प्रार्थी के पति की मृत्यु हुई है और वह इद्दत की अवधि में बैठ गई है, उसके बार–बार ग्वालियर दहेज के झूठे प्रकरण में उपस्थित होने के लिए परेशान किया गया, आवेदक के विरुद्ध असत्य आधारों पर एक एफआईआर गली–गलौज व जान से मारने की धमकी देने व दहेज के संबंध में की गई, जिसमें आरोप तय हो चुके है, जिसमें प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्र व पुत्री पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोपों से दोषमुक्त किया गया गया, प्रतिप्रार्थी क0 1 द्वारा प्रार्थी के पुत्र के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर उसका पासपोर्ट जप्त करवा कर, उसको गिरफ्तार करवाकर उसको बेरोजगार होने पर जानबूझकर उसके विरुद्ध एक प्रकरण झूंठा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किये गये घरेलू हिंसा व प्रताड़ना का स्पष्ट प्रमाण प्रतिप्रार्थीगण के आचरण से स्पष्ट होता है, फलतः प्रतिप्रार्थीगण का आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. अपील में यह आधार लिये गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत जाकर एवं कानून की व्याख्या का सही उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि धारा 2–एफ घरेलू हिंसा में स्पष्ट उल्लेख है कि घरेलू हिंसा का प्रकरण किन व्यक्तियों के विरुद्ध चल सकता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थीगण कभी भी प्रार्थी के साथ नहीं रहे, क्योंकि प्रार्थी स्वयं मंदसौर में नौकरी करती थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिप्रार्थी के कथनों पर विश्वास न करते हुए तथा प्रार्थी के कथनों के विश्वसनीय

मानते हुए तथ्य एवं विधि की गंभीर त्रुटि की है, अतः विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

क्या आलोच्य आदेश दिनांक 09.11.2024 विधि व तथ्यों के विपरीत होकर हस्तक्षेप योग्य है ?

//विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

8. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं अपीलार्थीगण के प्रस्तुत तर्कों का परिशीलन किया गया। आवेदिका शादमा ने विचारण न्यायालय के समक्ष घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन प्रकरण प्रस्तुत कर अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन अनुतोष वांछित किया है।

9. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण से उनका नाम कम किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन निरस्त कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.11.2026 का पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

10. निर्विवादित रूप से अपीलार्थी क. 1 का विवाह, प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पुत्र के साथ हुआ था और इस नाते प्रत्यर्थी, अपीलार्थी क0 1 की सास है और अपीलार्थी क0 2 व 3, अपीलार्थी क0 1 के माता–पिता होकर प्रत्यर्थी के समधी–समधन है और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध घरेलू हिंसा कारित करने के संबंध में अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम

के अधीन प्रकरण प्रस्तुत किया है।

11. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण लंबित रहने के दौरान अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 23.11.2022 को प्रश्नाधीन आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी/प्रार्थी के साथ साझा गृहस्थी में निवास नहीं करने के कारण उनके संबंध में प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया था, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 09.11.2024 द्वारा उक्त तथ्य साक्ष्य की विषय वस्तु होने के आधार से अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त किया है।

12. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में ''व्यथित व्यक्ति'' की परिभाषा धारा 2(ए) में दी गई है, जिसके अनुसार ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में रही हो, वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही हो। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2(क्यू) में ''प्रत्यर्थी'' की परिभाषा' दी गई है, जिसके अनुसार ऐसा कोई वयस्क पुरूष, जो व्यथित की घ ारेलू नातेदारी में रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने अनुतोष चाहा है, परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरूष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाईल कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में ''घरेलू नातेदारी'' की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते है या रह चुके है, जब वे समरक्ता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 2(एस) में ''साझा गृहस्थी की परिभाषा' दी गई है, जिसके अनुसार ऐसी गृहस्थी से अभिप्रेत है, जहां व्यथित रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है, जो चाहे उस व्यथित

व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किरायेदारी में है और ऐसी गृहस्थी भी है, जो ऐसे अभिवक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है, जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिये बिना भी प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है।

13. इस मामले में अभिलेख पर आयी सामग्री के आधार से अपीलार्थी क0 2 व 3/प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3, प्रत्यर्थी/व्यथित व्यक्ति अर्थात् प्रार्थी के साथ साझा गृहस्थी में घरेलू नातेदारी में निवासरत नहीं रहे होने के तथ्य प्रकट होते हैं, क्योंकि उक्त अपीलार्थी क0 2 व 3 का संबंध व्यथित व्यक्ति के साथ समधी और समधन के रूप में हैं, ऐसी स्थिति में सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह विचार किया जाये, तो उनका व्यथित व्यक्ति के साथ साझा गृहस्थी में घरेलू नातेदारी में निवासरत रहने का प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता है, तब उक्त अपीलार्थी क0 2 व 3 के संबंध में साक्ष्य अभिलिखित किये जाने कोई आधार ही प्रकट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में तत्संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी क0 2 व 3 के संबंध में साक्ष्य की विषय वस्तु होने बाबत् अभिलिखित किया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

14. इस प्रकार अपीलार्थी क0 2 व 3/प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3 का व्यथित व्यक्ति से अलग निवासरत रहने और व्यथित व्यक्ति के साथ साझा गृहस्थी में घरेलू नातेदारी में निवासरत नहीं रहने से उपरोक्त प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3 के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति/प्रार्थी इस अधिनियम में वांछित किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की पात्र नहीं है, क्योंकि अधिनियम के विधिक प्रावधान के आलोक में उपरोक्त प्रतिप्रार्थीगण के संबंध में प्रार्थी का प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है, अतः व्यथित व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत मूल प्रकरण अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में से उपरोक्त अपीलार्थी क0 2 व 3/प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3 के नाम कम किया जाकर उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे।

Contd. -----9

15. जहां तक अपीलार्थी क0 1/प्रतिप्रार्थी क0 1 का नाम प्रकरण में से कम किये जाने का प्रश्न है, वहां तक निर्विवादित रूप से प्रतिप्रार्थी क0 1, व्यथित व्यक्ति/प्रार्थी की बहु है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रतिप्रार्थी घरेलू नातेदारी की परिभाषा के अध्याधीन है और बहु होने के नाते निश्चित ही साझा गृहस्थी में रहे जाने की उपधारणा की जा सकती है और इसके अतिरिक्त भी अभिलेख पर आयी सामग्री के आधार से प्रथम दृष्टया साझा गृहस्थी में अस्थाई रूप से निवासरत रहने के तथ्य भी प्रकट होते हैं। इसके अलावा भी उपरोक्त तथ्यों का पूर्णरूप से निराकरण विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरांत भी किया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार से प्रतिप्रार्थी क0 1/अपीलार्थी क0 1 का नाम मूल प्रकरण से कम किये जाने योग्य नहीं है और न ही प्रतिप्रार्थी क0 1/अपीलार्थी क0 1 के संबंध में व्यथित व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत मूल प्रकरण समाप्त किये जाने योग्य है, अतः तत्संबंध में विचारण न्यायालय अभिलिखित निष्कर्ष उचित होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

16. इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी क0 1/अपीलार्थी क0 1 के संबंध में प्रस्तुत प्रश्नाधीन अंतरिम आवेदन निरस्त किए जाने के संबंध में कोई त्रुटि कारित करना परिलक्षित नहीं है, किंतु प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3/अपीलार्थी क0 2 व 3 के संबंध में प्रस्तुत प्रश्नाधीन अंतरिम आवेदन निरस्त किये जाने के संबंध में त्रुटि कारित करना परिलक्षित होना प्रकट है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अंशतः हस्तक्षेप योग्य होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

17. फलतः उक्त विवेचना के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय का पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09.11.2024 का आवेदन विधि संगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं, अतः अपीलार्थीगण/प्रतिप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अंशतः स्वीकार की जाती है और योग्य विचारण न्यायालय का पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.11.2024 को अंशतः अपास्त कर, आदेशित किया

जाता है कि **''व्यथित व्यक्ति/प्रत्यर्थी/प्रार्थी के मूल आवेदन अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में से उपरोक्त अपीलार्थी क0 2 व 3/प्रतिप्रार्थी क0 2 व 3 के नाम कम किया जाकर उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे** तथा शेष संबंध में विचारण न्यायालय का आदेश यथावत् रहेगा।

18. उभयपक्ष को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

19. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये।

अपील आंशिक स्वीकार।

दिनांक–25/08/2026
स्थान– इंदौर

सही/–
(श्रीमती सोनल पटेल)
उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
इंदौर (म.प्र.)

SONAL PATEL
Digitally signed by SONAL PATEL
Date: 2026.08.25 17:29:51 +0530